Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 210/2023

श्री जे0एन0 पूरी
निवासी– 16, म्युनिसिपल रोड,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम

दिनांक: 20/07/2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding wrong billing of connection no CD771711090701. The Complaint submits and praysas under:-

It is brought to your kind notice that I am resident of 16, Municpal road, Dehradun. My electricity connectin mentioned above situated.

Lately, UPCL is giving me wrong bill Since 12/2023 hence you are reguted to order concern authorities of UPCL to correct my bill.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरमाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1559 दिनांकित 20/03/2024 से मंच को अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (के0), 18 ई0सी0 रोड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1316 न0वि0ख0(के0)/दे0दून/राजस्व/उ0शि0नि0मं0 दिनांक 20.03.2024 के साथ संलग्नक मान्नीय मंच के पत्रांक 412/उ0शि0नि0मं0/ग0क्षे0/फोरम दिनांक 14.03.2024 के अनुपालन में मान्नीय मंच को अवगत कराना है कि उक्त परिवादी श्री जे0एन0पूरी, 16, म्युनिसिपल रोड, देहरादून के संयोजन सं0 CD771711090701 के पूर्व बिल मीटर रीडर द्वारा एन0ए0 पर बनाये है, वर्तमान में बिल रीडिंग के अनुसार बना है। जिसकी बिल एवं Consumer History की (छायाप्रति संलग्न) साथ ही उपखण्ड अधिकारी वि0वि0ख0(के0) के कार्यालय पत्रांक सं0 1623 दिनांकित 04.04.2024 से मंच को यह भी अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (के0), 18ई0सी0 रोड, देहरादून के कार्यालय पत्र सं0 1316 न0वि0वि0ख0(के0)/दे0दून/राजस्वव/उ0शि0नि0मं0 दिनांक 20.03.2024 के साथ संलग्नक मान्नीय मंच के पत्रांक संख्या 412/उ0शि0नि0मं0/फोरम दिनांक 14.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 21.03.2024 के निर्देशानुसार परिवादी जे0एन0 पूरी, 16 म्यूनिसिपल रोड, देहरादून के संयोजन संख्या CD77171090701 के मीटर एम0आर0आई कर दिनांक 04.04.2024 को मान्नीय मंच के सम्मुख प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाना गया था के संदर्भ में मान्नीय मंच को अवगत कराना है कि अवर अभियन्ता विद्युत परीक्षण शाला

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

(के0), 18 ई0सी0 रोड देहरादून द्वारा उक्त मीटर की एम0आर0आई हेतु प्रयास किया गया, परन्तु उक्त मीटर की एम0आर0आई नही हो पा रही है, सम्बन्धित मीटर निर्माता के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर एम0आर0आई0 कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार उन्हें वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे थे, परन्तु दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 23.01.2024 अर्थात् 123 दिनों में विवादित बिल चक्र में परिवादी से 71.86 यूनिट प्रतिदिन के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिस पर परिवादी को आपत्ति है। मंच द्वारा परिवादी के कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल अवधि दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 23.01.2024 से पूर्व न तो परिवादी की इतनी अधिक खपत रही न ही उक्त अवधि के बाद। पत्राावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये जाते रहे, जिनका परिवादी द्वारा नियमित रूप से ससमय पर भुगतान भी किया जा रहा था।

विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 23.01.2024 के प्रेषित बीजकों को निरस्त कर उक्त बीजकों को पूर्व की तीन बिल चक्र

औसत खपत 09/2023, 08/2023, 07/2023 क्रमशः 118 +102 +114 = 334/3 =111.33 प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 23.01.2024 के प्रेषित बीजकों को निरस्त कर उक्त बीजकों को पूर्व की तीन बिल चक्र के औसत खपत 09/2023, 08/2023, 07/2023 क्रमशः 118 +102 +114 = 334/3 =111.33 प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हों। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

20/07/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

20.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

El[illegible]ricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 214 / 2023

श्री यमुना प्रसाद भट्ट
निवासी– ग्राम बडोवाला,
पो0ऑ0 प्रेमनगर, आरकेडिया ग्रांट
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 30/07/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding intestinally delay for action on billing irregularities. The Complaint submits and prayer is made below:-

I am writing to file a formal complaint aginst billing office, UPCL Ganeshpur office, Dehradun, regarding delay for action on billing irregularities related to my electricity connection no MP21427094225 in name of my father shri Yamuna Prasad Bhatt. I had previously reported personally to UPCL billing office, Ganehspur staff and SDO on 18 Dec 2024 abouth the irregularitiesinmy electricity bills, further submitted written letter and reminder on 28 Dec 2024, but despite of multiple attempts to address this issue, no action has been taken to rectify the billing discrepancies.

During my visit to the UPCL billing office e at Ganeshpur for status of complain on 11th January 2024, I requested to provide consumer meter bill reading history and cross match the reading with photo proof taken by the biller at time of generating bill onsite. Upon cross

checking by UPCL staff on system, it was admitted by the UPCL billing office personnel that no photo evidence was submitted by the duty personnel for the months of October and November 2023, respectively. Later on further analysis of the meter reading history records has revealed that similar irregularities have occurred every year since 2020 and delaying in addressing the issue further strengthens the suspicion of intentional errors in billing practices.

Therefore, I urge you to investigate thos matter thoroughly and take necessary actions to address the repeated billing irregularities. It is imperative that measures are implemented to ensure the transparency and accuracy in the billing process to prevent such occurrences in the future. I trust that Consumer Grivance Redressal Forum wil prioritize this matter and facilitate a prompt resolution. Your cooperation and assistance in this regard are highly appreciated.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 215, दिनांकित 03/04/2024 से मंच को आख्या का विवरण बिन्दुवार अवगत कराया हैः–

बिन्दु संख्या 1– आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2023 को उपखण्ड कार्यालय गणेशपुर में अपने विद्युत बिल संबंधी शिकायती प्रत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके सापेक्ष विद्युत बिल का पुनः निरीक्षण करते हुए बिलिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उपभोक्ता को निर्गत किये गयें सभी विद्युत बिल MU के आधार पर निर्गत किये गये हैं।

बिन्दु संख्या 2 – उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में वर्णित तथ्य की पुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वंय उपभोक्ता के परिसर पर जा कर मापक की रीडिंग जॉच की गई और एम0आर0आई करने का प्रयास किया

गया, परन्तु मापक की एम0आर0आई नही हो पाई साथ ही मापक की रीडिंग निर्गत किये गयें विद्युत बिल के अनुरूप पाई गई।

बिन्दु संख्या 3 – आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2023 में ही एक और शिकायती पत्र उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष इस कार्यालय द्वारा बिलिंग हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था, मैसर्स टी0डी0एस0 मैनेजमेंन्ट को पत्रांक संख्या 28 दिनांक 12.01.2024 व पत्रांक संख्या 144 दिनांक 02.03.2024 के माध्यम से आवेदक की माह अक्टुबर 2023 व माह नवम्बर 2023 में निर्गत विद्युत बिल की रीडिंग की फोटो प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा आतिथि तक इस सम्बन्ध में कोई भी आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

बिन्दु संख्या 4 – अवगत कराना है कि शिकायती पत्र में वर्णित अवधि तथा तत्पश्चात् उपभोक्ता को विद्युत बिल MU के आधार पर ही निर्गत किये गये है। उपभोक्ता का अंतिम बिल माह 03/2024 , रीडिंग 28719 तक निर्गत किया गया है और वर्तमान में दिनांक 01.04.2024 को उपभोक्ता की रीडिंग 2877 है जिसकी पुष्टि हेतु मीटर रीडिंग की फोटो संलग्न हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत अनियमिता रूप से की जा रही विद्युत बिलिंग के संबंध में है।

मंच द्वारा परिवादी को शिकायती पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2023 में ही एक और शिकायती पत्र उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष इस कार्यालय द्वारा बिलिंग हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था, मैसर्स टी0डी0एस0 मैनेजमेंन्ट को पत्रांक संख्या 28 दिनांक 12.01.2024 व पत्रांक संख्या 144 दिनांक 02.03.2024 के माध्यम से आवेदक की माह अक्टुबर 2023 व माह नवम्बर 2023 में निर्गत विद्युत बिल की रीडिंग की फोटो प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा आतिथि तक इस सम्बन्ध में कोई भी आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा विपक्षी की आख्या के साथ संलग्न विद्युत मापक के छायाचित्र का अवलोकन किया एवं पाया कि दिनांक 08.09.2023 एवं 26.102023 में परिवादी के विद्युत मापक बिल के साथ परिवादी के विद्युत मापक की छायाप्रति के स्थान पर अन्य विद्युत मापक की छायाप्रति संलग्न की गई है जो कि लापरवाही का घोतक है एवं मान्नीय UERC के नियमों का घोर उल्लंघन है।

उक्त वाद के सम्बन्ध में मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2)** का संज्ञान लिया गया एवं पाया गया कि विपक्षी द्वारा उक्त रेगुलेशन का उल्लंघन किया गया है जो कि मंच के मत में तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि मंच को पूर्व में प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश बिलिंग में गडबड़ी से संबंधित हैं। इन शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह सामने आया है कि विपक्ष की ओर से बिलिंग के लिए नियुक्त टी0डी0एस0 मैनेजमेंन्ट की लचर कार्यप्रणाली के कारण बिलिंग में बडे पैमाने पर गडबडियां हो रही है, जिससे विभाग एवं प्रदेश को लगातार राजस्व हानि हो रही है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को चेतावनी जारी की जाती है कि भविष्य में मान्नीय UERC के विनियम **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1 (2)** के अग्रसर ही परिवादी के साथ ही समस्त उपभोक्ताओं की विद्युत बिलिंग की जाये और अपने स्तर से टी0डी0एस0

मैनेजमेंन्ट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करें ताकि प्रदेश एवं विभाग को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/07/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30.07-2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 01/2024

श्री ईश्वर सिंह
निवासी– धौलास गांव
पो0ओ0 घंगोरा, देहरादून।

परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 30.07.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding acess amount of billing. The Complaint submits and prayer is made below:-

I have been continuosly chasing the electricity department for the last so many months to resolve my electricity bill issue however no avail, hence I thought of thought of reaching out to you directly. I am staying in Dhaulas Village Post office Ghangora Dehradun, the house wherein I am staying had defected electricity meter, I raised a complaint with the local office, and they installed a Check meter. The day the check meter was installed the old meter stopped working, for the next 1 month the check meter was running and giving accurate reading. The old meter bill 29000 was issued and I am being threatened with disconnection , I have already deposited 25000 to avoid disconnection , I had to take a loan

from my friend to avoid disconnection and I am paying interest on that amount. Yesterday they issued me a new bill of 14000 again for the month of March and I am seriously unhappy with the way things are functioning , till date the fittings in my house are also temporary and I don't understand as to how come the amount of bill being raised every month. I am requesting your assistance to provide me a valuable solution and waive off my bill which I had paid against the defective meter.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2004, दिनांकित 12/04/2024 से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता द्वार विद्युत बिल की शिकायत की गई है जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 19/09/2023 को विद्युत बिल की धनराशि रू0 29802.00 आने के कारण चैक मापक का पंजीकरण संख्या– 20310230394 दिनांक 03/10/2023 को कराया गया था। (छायाप्रति संलग्न)
2. उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 02/12/2023 को चैक मापक सीलिंग संख्या– 19/195 द्वारा स्थापित करते समय चैक मापक रीडिंग 0.00 के0डब्लू0एच0 तथा मुख्य मापक में 29863 के0डब्लू0एच0 रीडिंग थी। (सीलिंग की छायाप्रति संलग्न)
3. दिनांक 29/01/2024 को चैक मापक फाईनल करते समय चैक मापक में रीडिंग 105 के0डब्लू0एच0 तथा मुख्य मापक में नो डिस्प्ले होने के कारण चैक मापक से मुख्य मापक की तुलना नही की जा सकती है। चैक मापक उपभोक्ता के परिसर पर छोड दिया गया था।
4. उपभोक्ता का विद्युत बिल विद्युत मापक की रीडिंग के अनुसार सही पाया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 177/2023

श्री टी0एस0 राणा पुत्र स्व0 चतर सिंह राणा
निवासी– राणा काटेज, कैमल वैग रोड,
मसूरी।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 29.07.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा विद्युत बिलिंग के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि राणा काटेज कैमल वैग रोड, मसूरी वर्ष 2017 में ऊर्जा विभाग से सोलर प्लांट कनेक्शन सं0 7025362056980 मसूरी स्थित आवास में लगाया गया था, विद्युत विभाग द्वारा साडे चार वर्ष पश्चात् 27.10.21 को बार–बार कहने पर हमें विद्युत बिल दिया गया था। वर्ष 2021 से अगस्त 2023 तक मेरे द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से सहायक अभियन्ता मसूरी उपखण्ड व अधिशासी अभियन्ता (उत्तर), ई0सी0 रोड, देहरादून को बिल रीडिंग हेतु निवेदन किया गया तथा अधिशासी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अभियन्ता (उत्तर) तथा सहायक अभियन्ता, उपखण्ड, मसूरी को लखित तौर पर पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया गया। तीन वर्ष पश्चात् दिनांक 19.08.2023 को रू0 31317 का बिल प्रेषित किया गया। महोदय प्रार्थी ने बार–बार लिखित तथा मौखिक रूप में विद्युत कार्यालय जाकर विद्युत बिल भुगतान करने हेतु आग्रह किया गया, उसके पश्चात् दिनांक 29.11.2023 को रू0 70849.00 का विद्युत बिल दिया गया।

महोदय वर्ष 2017 से अब तक प्रत्येक माह विद्युत विभाग का मीटर रीडर आता है, जबकि 07 वर्ष में केवल तीन बिल ही दिये गये है। अतः मीटर की एम0आर0आई0 जांच करवायी जाये, जिससे वास्तविक विद्युत खपत की स्थिति से हम अवगत हो सके। प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.12.2023 को सोलर प्लांट जिसका संयोजन सं0 7025362056980 पर विद्युत रीडिंग 25779 की फोटो खीचीं गयी, परन्तु विद्युत विभाग द्वारा विद्युत रीडिंग 26026 प्रेषित की गयी है, जिसमें दोनो में 247 यूनिट का अन्तर पाया गया है। (फोटो संलग्न)

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 18, दिनांकित 07/05/2024 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि श्री टी0एस0 राणा, पुत्र स्व0 चतर सिंह राणा, राणा काटेज, कैमल्स वैग रोड, मसूरी विद्युत संयोजन 7025362056980 के सोलर विद्युत मीटर की एम0आर0आई0 की आख्या निम्नवत् है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरमाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. दिनांक 30.04.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत सोलर मीटर में एम0आर0आई0 रीडिंग इंपोर्ट 28737 यूनिट एवं एक्सपोर्ट 10937 यूनिट पायी गयी। उपरोक्त रीडिंग के अनुसार ही माह 04/2024 का विद्युत बीजक उपभोक्ता को प्रेषित किया गया। (संलग्नक –2)
2. एम0आर0आई के अनुसार 04/2024 में उपभोक्ता के द्वारा कुल 592 यूनिट विद्युत का उपभोग किया गया एवं कुल 37.2 यूनिट यू0पी0सी0एल0 को एक्सपोर्ट किया गया।
3. उपभोक्ता द्वारा माह 03/2024 में कुल 1002.7 यूनिट की विद्युत उपभोग किया गया एवं कुल 7.3 यूनिट एक्सपोर्ट किया गया।
4. एम0आर0आई0 अनुसार Maxmimum Demand माह 10/2023– 4.68 कि0वा0, माह 11/2023– 5.11 कि0वा0, माह 12/2023 – 4.15 कि0वा0, 01/2024 – 4.33 कि0वा0, माह 02/2024 – 4.62 कि0वा0, अंकित पायी गई।
5. विगत एक वर्ष 01.05.2023 से 30.04.2024 में उपभोक्ता द्वारा कुल 7127.5 यूनिट की विद्युत खपत की गई एवं 327.5 यूनिट यू0पी0सी0एल0 को एक्सपोर्ट की गई।
6. परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर सही कार्य कर रहा है।

मंच द्वारा परिवादी को अंतिम सुवनाई तिथि 16.05.2024 को सुनवाई के दौरान निर्देशित किया गया था कि सोलर रूफ टॉप प्लांट स्थापित करने वाले वेंडर से संपर्क कर एक संयुक्त निरीक्षण की तिथि तय करें जिसमें विपक्षी की मौजूदगी भी रहेगी परन्तु खेद का विषय यह है कि परिवादी द्वारा वर्तमान तिथि तक भी उक्त संयुक्त निरीक्षण हेतु

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

सोलर रूफ टॉप प्लांट स्थापित करने वाले वेंडर से निरीक्षण की तिथि नही ली गई इस सम्बन्ध में मंच द्वारा परिवादी से दूरभाष के माध्यम से अनेको बार निरीक्षण की तिथि जाननी चाही परन्तु परिवादी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते हैं। अतः वाद वादी की अदम पैरवी में उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

29/07/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 209/2023

श्रीमती सुमन ठाकुर — परिवादी
निवासी– डफोडिलस स्कूल, हरिपुर,
हर्बटपुर, एनफील्ड निकट हनुमतधाम
वार्ड नं0–6, विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 29.07.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा विद्युत बिलिंग के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि हमारी दुकान में (श्रीमती सुमन ठाकुर पत्नी श्री बलदेव राज) के नाम से विद्युत कनैक्शन था, जिसका कनैक्शन नं0 VN63202451819 है। इस कनैक्शन नं0 VN63202451819 का जो बिल था उसका भुगतान हमारे द्वारा 31.01.2018 को दे दिया गया था और कनैक्शन कटवा दिया था परन्तु हमने पी0डी0 नहीं करवाया था। उसके बाद कोई बिल या किसी भी प्रकार का नोटिस विभाग की

तरफ से हमें नहीं भेजा गया। इस दौरान कब विभाग से कर्मचारी आये और हमारा मीटर निकाल कर ले गये हमें इसकी कोई सूचना नहीं है न ही हमें मीटर की सीलिंग प्रदान की गई। विद्युत खण्ड विकासनगर द्वारा 30.06.2020 को इस विद्युत कनैक्शन का 5,735/– रू0 बिल जो हमने दिसम्बर 2022 को ऑनलाइन निकलवाया था, जिस बावत हमने विभाग को सूचित भी किया था। परन्तु विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। अब वर्तमान में इस कनैक्शन का बिल 36,479/– हो गया है। जब विभाग मीटर पहले ही निकालकर ले गया था तो यह बिल किसी रीडिंग का है ? जॉच का विषय है। महोदय आपसे निवेदन है कि संदर्भ में जॉच करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 1173, दिनांकित 12/04/2024 से मंच को अवगत कराया है कि साइट निरीक्षण के अनुसार उपभोक्ता सुमन ठाकुर संयोजन सं0 VN63202451819 के द्वारा कनेक्शन विच्छेदित हेतु पी0डी0 की रसीद नहीं कटवायी गयी जिस कारण से मीटर साईट पर ही स्थित रहा एवं उपभोक्ता के बिल यथावत NA/NR/MU में बनते रहे जिस कारण उपभोक्ता का बिल माह जुलाई 2023 का रू0 37632.00 का बना एवं अप्रैल माह में उपभोक्ता का मीटर साईट से उतारा गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा 31.01.2018 को विद्युत कनैक्शन कटवा दिया था, परन्तु पी0डी0 नहीं करवाया गया, इसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिसम्बर 2022 में अपने विद्युत संयोजन की स्थिति जाननी चाही जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन चैक करने के उपरान्त ज्ञात हुआ कि विद्युत विभाग द्वारा

30.06.2020 को रू0 5,735 का विद्युत बिल बनाया गया, जिसके संबंध में उनके द्वारा विद्युत विभाग से संपर्क किया गया परन्तु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायत करने की तिथि तक उक्त कनैक्शन का विद्युत बिल रू0 5,735 से रू0 36479 का हो गया है, परिवादी का कथन है कि जब विभाग पहले से ही मीटर ले गया था तो बिल किस आधार पर बनाया गया है।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि विद्युत संयोजन सं0 VN63202451819 में उपभोक्ता द्वारा उक्त संयोजन हेतु कनेक्शन विच्छेदित हेतु पी0डी0 की रसीद नहीं कटवायी गयी जिस कारण से मीटर साईट पर ही स्थित रहा एवं उपभोक्ता के बिल यथावत् NA/NR/MU में बनते रहे जिस कारण उपभोक्ता का बिल माह जुलाई 2023 का रू0 37632.00 का बना एवं अप्रैल माह में उपभोक्ता का मीटर साईट से उतारा गया।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.2.1.(2)** के विनियम का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम का उल्लंघन किया गया है, जिस कारण उक्त शिकायत उत्पन्न हुई है। परिवादी की शिकायत के अनुसार उनके द्वारा 31.01.2018 को संयोजन कटवाने हेतु आवेदन किया था जिसकी पुष्टि परिवादी के कंज्यूमर हिस्ट्री से भी हो जाती है क्योंकि उक्त तिथि से पूर्व विपक्षी द्वारा परिवादी को नियमित रूप से बिल दिये जाते रहे हैं, परन्तु 27.01.2018 के उपरान्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 185 / 2023

श्रीमती आभारानी
निवासी– R-101/20 आवास विकास,
दून विहार कालोनी निकट शुभम ज्वैलर्स
जाखन चौक, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 27.07.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा आवास दून विहार कालोनी जाखन चौक देहरादून में है। मेरे घर का विद्युत कनैक्शन नं0 40106762521 है। मैने अपना बिजली बिल दिनांक 23.01.2024 को 30,697 रूपये जमा किया गया था, लेकिन मेरा विद्युत विच्छेदन करने के लिए दिनांक 28.02.2024 को विद्युत विभाग का एक स्टॉफ जिसके पास कोई विभागीय आई0डी0 नहीं था, मेरे बिजली मीटर के पास आकर बिजली मीटर के साथ छेड–छाड कर रहा था, उसी समय मेरा पुत्र द्वारा बिजली कर्मी से पूछे जाने पर की विद्युत मीटर के साथ

छेड–छाड क्यों की जा रही है, तो उस पर स्टाफ बोला कि आपका बिजली का बिल रू0 24,000 आया है और आपके द्वारा जमा नहीं किया गया है इसलिए विद्युत संयोजन काटा जा रहा है। इस पर मेरे बेटे ने कहा कि हमने पिछले महीने ही रू0 30697 का बिजली का जमा किया है पुनः एक ही महीने में ही 24,000 रूपये का बिल कैसे आ सकता है जबकि हम लोग बाहर रहते है इसलिए यह बिल गलत है। इस पर स्टाफ बोला कि बिल सही है या गलत मैं जेई साहब के कहने पर बिजली काट रहा हूॅ। उसके बाद मेरे बेटे ने बोला कि मै अभी ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूॅ आप बिजली मत काटो मैं बिजली आफिस जाकर रीडिंग चैक कर लूंगा उसी समय मेरे बेटे ने ऑनलाइन विद्युत बिल रू0 24,204 जमा किया गया परन्तु उसके बावजूद भी हमारा बिजली कनैक्शन काट दिया गया। मैं दिनांक 29.02.2024 को दिल्ली से वापस आकर छानबीन किया तब पता चला कि विद्युत सप्लाई कार्यालय राजपुर चौक पर मिस्टर राणा के नाम से जू0ई0 है, जिसका मो0 नं0 9412075915 है उसने कुछ अवैध लोगो को अपने काम में लगा रखा है उससे वह ऐसे घर की निगरानी करता है जिसके ऑनर कहीं बाहर रहते है उस घर के मीटर के साथ छेड–छाड कर किसी ऐसे व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति करते है जो कॉमरसियल कार्य करते है, लेकिन उन्हें कॉमरसियल कनैक्शन नहीं है। ऐसे लोगो को दूसरे के मीटर से विद्युत सप्लाई कर अवैध उगाई करते है। अगर कोई विरोध करता है तो अपने रूतबे का रौब दिखाकर परेशान करने की धमकी देता है। मिस्टर राणा का व्यवहार एक सरकारी सेवक की तरह न होकर दंबग किस्म का है। इस काम के लिए वे एक ही खंभे में कईयों मीटर लगा रखे है तथा उस सब मीटर का सील खोलकर छोड रखा हैं। मैनें कई बार उनसे कहा कि आप मेरा बिजली मीटर घर से बाहरी दिवार पर लगवा दे पर उन्होंने मना कर दिया। बिजली बिल जमा करने या बिजली काटने से सम्बन्धित कोई भी मैसेज

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248C
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

मोबाईल पर नहीं आता है। अतः अनुरोध है कि सरकारी नियमानुसार इस जू0ई0 का अविलंब तबादला कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर इन्हें दण्डित किया जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 148, दिनांकित 03/04/2024 से मंच को अवगत कराया है कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0(उ0) 18 ई0सी0 रोड, के पत्रांक संख्या 857 दिनांक 06.03.2024 के अनुपालन में आपको अवगत कराना है कि श्रीमती आभारानी , आवास विकास, दून विहार कालोनी , नियर शुभम ज्वैलर्स, जाखन चौक, देहरादून द्वारा मान्नीय मंच के समक्ष वाद दायर किया गया है। उक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि संयोजन सं0 7071112120648 पर दिनांक 24.02.2024 तक (माह जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक) विद्युत बीजकों का कुल बकाया रू0 24204.00 था एवं उपभोक्ता द्वारा अन्तिम विद्युत बीजक का भुगतान (माह मई 2023 से दिसम्बर 2023 तक के विद्युत बीजकों का भुगतान) रू0 30,697.00 दिनांक 23.01.2024 को किया गया था। दिनांक 26.02.2024 को विभागीय पोर्टल से Defaulter Consumer List निकाली गयी (प्रति संलग्न) जिसमें उपभोक्ता आभारानी, संयोजन सं0 7071112120648 के नाम से (क्र0सं0 148) पर रू0 24204.00 का भुगतान आदेश अवशेष प्रदर्शित हो रहा था।

महोदय जैसे की आपको ज्ञात है कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023–2024 के अन्तिम माहों में कारपोरेशन द्वारा राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य दिये गये थे, जिस कारण राजस्व लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु सभी विद्युत बीजक बकायादारों से अवशेष भुगतान प्राप्ति हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा था जिसके क्रम में विद्युत बीजकों को ससमय जमा करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से एवं उपखण्ड द्वारा लाउण्ड स्पीकर के माध्यम से सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित भी किया गया। (प्रतिलिपि संलग्न)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्र 02/2024 से पूर्व के बिलो पर परिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 26.12.2023 से 24.02.2024 अर्थात् 60 दिनों में 05 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 3295 यूनिट की खपत दर्शायी है जो कि 54.91 यूनिट अर्थात् 55 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। उक्त अवधि की अधिकतम मांग LDHF सूत्र के तकनीकी अनुसार भी परिवादी की अधिकतम खपत 480 यूनिट प्रति माह होती है, 60 दिनों के अनुसार परिवादी की अधिकतम खपत 960 यूनिट होती है, अतः विपक्षी द्वारा 05 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 55 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गयी खपत को मंच बिना ठोस तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को एम0आर0आई0 रिर्पोट/तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 24.02.2024 एवं 31.01.2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त बीजकों को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (2121 + 719 + 599 /3 = 1146.33 यूनिट आर्थत् 1146 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में अवर अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भी प्रार्थना की गई है के संबंध में मंच द्वारा परिवादी को अवगत कराया जाता है कि प्रस्तुत मंच कर्मचारी को दंडित किये जाने

का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसके लिए परिवादी उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित बिल दिनांक 24.02.2024 एवं 31.01.2024 को निरस्त करें, उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 2121 + 719 + 599 /3 = 1146.33 यूनिट आर्थत् 1146 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जात है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविंलब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में मीटर की तकनीकि खराबी के कारण पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।**

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/7/24

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27.07.2024

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 178 / 2023

श्री रतन सिन्हा
निवासी– हरिपूर (नया गॉव)
कांवली, जी.एम.एस. रोड,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 27/07/2024
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा मीटीरिंग के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि रतन सिन्हा, हरिपूर (नया गॉव) कॉवली सीमाद्वार का निवासी हूँ। मेरे घर में बिजली से चलने वाली कोई भी उपकरण ऐसा नही है जिससे ज्यादा बिजली खपत हो, मेरे घर मे तीन कमरे है, जिसमे तीन बल्ब एक फ्रीज, पंखे जो कि सर्दी में चले ही नहीं है। दिनांक 03.11.2023 तक मेरा बिजली का बिल सही आता था, परन्तु अब अधिक बिल आ रहा है। दिनांक 03.11.2023 को रू0 1656.00

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail -- cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल का भुगतान मेरे द्वारा किया गया, माह दिसम्बर, जनवरी 2024 तक मेरा बिल रू0 9146.00 आया है जो कि बहुत ज्यादा है, जिसे मै देने में असमर्थ हूँ। पिछले तीन महीने से मेरा मीटर खराब पडा है जिसकी शिकायत मैने बिजली विभाग को माह जनवरी 2024 में कर चुका हूँ जिसके बाद मैने कई बार फोन भी किया उसके बावजूद भी मेरा मीटर नही बदला गया जिसके कारण मुझे बिजली का बिल भुगतान करने में कठिनाई आ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शिकायत का निवारण जल्द से जल्द किया जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 178, दिनांकित 04/03/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री रतन सिन्हा, हरिपुरा (नया गांव), कांवली रोड जी.एम.एस. रोड, देहरादून (विद्युत संयोजन सं0 SD16311149508) के वाद संख्या 178/2023 के संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई है कि उनके खराब मीटर की शिकायत संख्या22012230791 के सापेक्ष उनके खराब मीटर को बदला नहीं गया है। जिसके संबंध में सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड़, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का खराब मीटर दिनांक 01.03.2024 को बदल दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार दिनांक 03.11.2023 तक उनका विद्युत बीजक खपत के अनुसार सही प्रेषित किया गया उनके द्वारा दिनांक 03.11.2023 को रू0 1656 का भुगतान कर दिया गया था इसके उपरान्त बिल अवधि दिसम्बर 2023 से जनवरी 2024 तक का जो विद्युत बिल प्रेषित किया गया है वह रू0 1946.00 का है जो कि उनकी वास्तविक खपत से अधिक का है जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्र 12/2023 से पूर्व न तो परिवादी की इतनी अधिक खपत रही न ही विवादित बिल चक्र के बाद। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 15.10.2023 से 19.12.2023 अर्थात् 65 दिनों में 1 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 1114 यूनिट की खपत दर्शायी है जो कि 17.13 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। उक्त अवधि की अधिकतम मांग LDHF सूत्र के तकनीकी अनुसार भी परिवादी की खपत 96 यूनिट प्रति माह होती है, 65 दिनों के अनुसार परिवादी की अधिकतम खपत 208 यूनिट होती है, अतः विपक्षी द्वारा 01 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 17.13 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गयी खपत को मंच बिना तकनीकी आधार के स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी परिवादी की

विवादित खपत को एम0आर0आई0/तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक्र 19.12.2023 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (300 + 445 + 348 /3 = 364.33 यूनिट आर्थत् 364 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित बिल दिनांक 19.12.2023 को निरस्त करें, उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (300+ 445+348/3= 364.33 यूनिट आर्थत् 364 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

27/7/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27-07-2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवार
(गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

परिवाद सं0 06/2024

श्री आसिफ अहमद,
पुत्र स्व0 श्री इकराम अहमद उर्फ,
अकरम अहमद।
नि0 25/9, गांधी रोड़, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 26.07.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन को विच्छेदित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से निम्वत् अवगत कराया गया है कि:–

1. यह कि प्रार्थी सम्पत्ति सं0 25/9 गांधी रोड, का स्थायी स्वामी व अध्यासी काबिज है।
2. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति प्रार्थी को अपने पिता के द्वारा पंजीकृत वसीयत से प्राप्त हुई है, अन्य किसी व्यक्ति का हित व अधिकार नही है।
3. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति में बिना किसी अधिकार के मेरी भाभी श्रीमती रेश्मा द्वारा झूठे व गलत तथ्य प्रस्तुत कर विद्युत संयोजन छल कपट करते हुये ले लिया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत व अवैध है।
4. यह कि उक्त अवैध विद्युत संयोजन के लिये प्रार्थी द्वारा कभी भी कोई सहमति व अनापत्ति नही दी गयी है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

5. यह कि यह न्यायहित में होगा कि प्रार्थी को श्रीमती रेश्मा द्वारा लिये गये विद्युत संयोजन प्रार्थना पत्र एवं समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि दिया जाये व उपरोक्त विद्युत संयोजन को प्रार्थी की सम्पत्ति से समाप्त किया जाये व हटाया जाये।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि प्रार्थी को श्रीमती रेश्मा द्वारा लिये गये विद्युत संयोजन को प्रार्थी की सम्पत्ति से समाप्त किया जाय और हटाया जाये।

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 248 दिनांकित 02/05/2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि है कि आपके पत्रांक सं० 07 उ०शि०नि०मं० / ग०क्षे० / फोरम दिनांक 08.04.2024 कि इस मंच के समक्ष परिवाद संख्या 06/2024 श्री आसिफ अहमद पुत्र स्व० इकराम अहमद, निवासी–25/9, गांधी रोड़, देहरादून ने अपने शिकायत पत्र में श्रीमती रेशमा पत्नी ईरशाद अहमद, निवासी–25/9, गांधी रोड़, देहरादून जो विद्युत संयोजन लेते समय जो आवेदन किया था उसके सभी दस्तावेजो की 17 नगों की फोटो प्रतिलिपि उक्त शिकायत से सम्बंधित आवश्यक अभिलेख बिन्दुवार आख्या सहित मंच के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गयी है। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में यह भी अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को तीन गुना धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त विद्युत संयोजन प्रदान किया गया है।

मंच द्वारा उभक्ष पक्षो को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जिस भवन में श्रीमती रेश्मा के नाम से विद्युत संयोजन दिया गया है वह भवन श्री आसिफ अहमद का है, जिसमें की उनकी भाभी श्रीमती रेश्मा द्वारा विद्युत संयोजन लिया गया है।

विपक्षी की आख्या के अनुसार श्रीमती रेशमा पत्नी ईरशाद अहमद, निवासी–25/9, गांधी रोड़, देहरादून को विद्युत संयोजन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के ***UERC (The Electricity Suplly Code, Release of***

Elec#icity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण ..
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

New Connections and Related and Related Matters) Regulations, 2020 के ***Chapter3 : Release of Newe Connections 3.3.2.4(a)(i)(e)*** के अन्तर्गत 3 गुना जमानत धनराशि लेकर दिनांक 03 जुलाई 2015 को निर्गत किया गया है, इस संबंध में मंच द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के उक्त रेगुलेशन का अवलोकन किया गया जिसके प्रावधान संख्या ***3.3.2.4(a)(i)(e)*** के परन्तुक के अनुसार विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ अगर अध्याशी आवेदक द्वारा उल्लेखित दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है तब ऐसी दशा में आवेदक से 3 गुनी जमानत धनराशि लेकर संयोजन निर्गत किया जायेगा तथा इस प्रकार के संयोजन पर किसी बकाया के संबंध में भवन स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में भी श्रीमती रेश्मा के नाम से विद्युत संयोजन 3 गुना जमानत धनराशि लेकर प्रदान किया गया है जो कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग कें उपरोक्त वर्णित रेगुलेशन के अनुसार पूर्णतः विधिवत है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के ***UERC (The Electricity Suplly Code, Release of New Connections and Related and Related Matters) Regulations, 2020*** के ***Chapter 6 : Disconnection & Reconnection*** में विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन संबंधी उल्लेख है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन विद्युत बिल का भुगतान ना करने अथवा उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर ही विच्छेदित किया जा सकता है। भवन स्वामी की इच्छा मात्र पर किसी अध्यासी के नाम जारी किये गये संयोजन को काटने का कोई अधिकार उक्त रेगुलेशन में विद्युत विभाग को नहीं दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अपने विद्युत संयोजन को विच्छेदन करने हेतु कोई आवेदन भी विभाग में नही किया गया है, ऐसी दशा में विद्युत विभाग द्वारा परिवादी के उक्त संयोजन को विच्छेदित करने अथवा् विच्छेदित करने की धमकी देने

का कोई अधिकार वर्तमान परिस्थितियों में नहीं है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता हैं। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/07/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26.07.24
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 23/2023

परिवादी

श्री वेद किशोर शर्मा,
पति स्व0 माया शर्मा,
नि0 लेन0 7ए, ब्लॉक– ई, सरस्वती विहार,
देहरादून।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

दिनांक : 23.07.2024

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा खराब विद्युत मापक बदलने एवं वर्तमान विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मीटर की रीडिंग नोट करते समय मीटर रीडर द्वारा हमें मीटर बदलने के विषय में बताया गया था और अनुमानित खपत के अनुसार मीटर की रीडिंग नोट की जा रही थी, परन्तु 18/05/2024 के बिल में अनुमानित खपत मीटर रीडर के द्वारा संभवतः गलत नोट की गई जिस कारण से वर्तमान बिल लगभग दो गुना से ज्यादा पाया गया जबकि मकान में किसी प्रकार के भारी उपकरण जैसे AC नहीं हैं , और बिल रूपये 4300/– के आस पास का आया है जो कि रू0 2000/– से रू0 2500/– तक रहता था। अतः उपरोक्त विषय को आपके संज्ञान में डालते हुए उपभोक्ता निम्न विवेदन करता है :

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1 वर्तमान बिल दिनांक 18/05/2024 का संशोधन कर उसे पूर्ववत किये जाने का कष्ट कीजिएगा।

2 मीटर को अविलम्ब बदलने की प्रक्रिया कीजियेगा।

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1855 दिनांकित 06/06/2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त परिवादी श्री वेद किशोर शर्मा, सरस्वती विहार, अजबपुर, देहरादून के संयोजन संख्या CD27155117507 के बिल वर्तमान में रीडिंग के अनुसार ही बने है, जिसकी बिल एवं कंज्यूमर हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न है।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात् मंच द्वारा विपक्षी को विद्युत मापक संख्या 40030443 की एम0आर0आई0 प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई के दौरान निर्देशित किया गया।

विपक्षी द्वारा उक्त के अनुपालनार्थ अपनी की एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 2026 दिनांकित 15.07.2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया कि सहायक अभियन्ता विद्युत परीक्षण शाला (के0) 18, ई0सी0 रोड देहरादून ने अपने पत्र संख्या 126 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उतारे गये मीटर को मीटर बेंच पर टेस्ट करने पर सही पाया गया है उतारे गये मीटर की RTC Defective पायी गयी।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का मंच द्वारा अवलोकन किया गया एवं पाया गया कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट का मिलान नहीं हो पा रहा है क्योंकि मीटर की RTC Defective हो जाने के कारण कंज्यूमर हिस्ट्री की तिथियों एवं एम0आर0आई0 की

तिथियों में काफी भिन्नताएं पाई गई है, जिस कारण तकनीकि दृष्टीकोणं से उक्त एम0आर0आई0 रिपोर्ट को सहीं नहीं माना जा सकता हैं।

मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि विवादित बिल चक्र 05/2024 से पूर्व न तो परिवादी की इतनी अधिक खपत रही है न ही विवादित बिल चक्र के बाद। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 19/04/2024 से 18/05/2024 अर्थात् 29 दिनों में 02 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 616 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है, जो कि 21.24 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है, उक्त अवधि की LDHF सूत्र के तकनीकि अनुसार भी परिवादी की खपत 192 यूनिट होती है, अतः विपक्षी द्वारा 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 21.24 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गई खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। परिवादी को मई.2024 के बिल चक्र में विपक्षी द्वारा 616 यूनिट खपत का बिल भेजा गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उसकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी नहीं रही है।

विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 18/05/2024 में प्रेषित बीजक निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (270+347+462/3= 359.66यूनिट अर्थात् 360 यूनिट) के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 18/05/2024 में प्रेषित बीजक निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (270+347+462/3= 359.66 यूनिट अर्थात् 360 यूनिट)

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum.
iarhwal Zone)
ıbar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
ehradun –248001
ıone 0135-2769745,2769755,2761956
ffice: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 97––2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड़समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23/07/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 36/2024

Shri. Hemant Bansal **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 26.07.2027

निर्णय

पत्रावली [redacted] दिनांक 18.07.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई से पूर्व ही आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उन्हें पिछले तीन माह से विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो रहे है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को नियमित बिल प्रदान करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें ताकि मेरी समस्या का नियमित समाधान हो सके।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 304 दिनांकित 03.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदन द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या SD65556150828 के सापेक्ष तीन माह से बिल प्राप्त नहीं होने के संबंध में की गई शिकायत के निस्तारण के संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को दिनांक 27.06.2024 को बिल प्रेषित कर परिवादी के शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी मौखिक रूप से विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी मौखिक संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/7/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

26.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 37/2024

Shri. Sushil Kumar **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 26.07.2027

निर्णय

पत्रावली दिनांक 18.07.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई से पू ही आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उन्हें पिछले तीन माह से विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो रहे है। अतः मंच से निवेदन है वि विद्युत विभाग को नियमित बिल प्रदान करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें ताकि मेरी समस्या का नियमित समाधान हे सके।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 303 दिनांकित 03.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया वि आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या SD15551105223 के सापेक्ष तीन माह से बिल प्राप्त नहीं होने के संबंध में की गइ शिकायत के निस्तारण के संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को दिनांक 27.06.2024 को बिल प्रेषित कर परिवादी वे शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी मौखिक रूप से विपक्षी द्वारा की गइ कार्यवाही पर अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी मौखिक संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

26/07/2024 — 26.07.2024

(दीपक फरस्वाण) — (त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य — न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 18 / 2024

श्री संजय कुमार बंसल, — परिवादी
निवासी– ग्राम फुलसनी, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 19.07 .2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा घरेलू संयोजन को व्यवसायिक संयोजन में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा दुकान में विद्युत कनैक्शन लगाने हेतु आवेदन सब स्टेशन, मोहनपुर में किया गया था, जिसमें उस वक्त श्री सतपाल तोमर, जेई थे और प्रार्थी ने दुकान के लिए अपना व्यवसाय विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया था, जिसमें आवेदन पत्र व्यवसायिक होने के बावजूद भी तोमर जेई द्वारा आवासीय कनैक्शन दिया गया, जिसके बारे में प्रार्थी ने उसी समय मौखिक तौर पर जेई तोमर को अवगत का दिया गया था, उसके पश्चात् भी प्रार्थी ने कई बार मौखिक तौर पर अपना विद्युत संयोजन आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन हेतु जेई व अन्य कर्मचारियों को कहा, के पश्चात् प्रार्थी ने 2023 में आवासीय विद्युत कनैक्शन व्यवसाय करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमे प्रार्थी द्वारा किरायेदारी पर रखे गये रिंकु को

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कई बार विद्युत विभाग के ऑफिस में कनैक्शन परिवर्तन करने व पैसे जमा करने हेतु भेजा गया तो विद्युत विभाग कर्मचार सब स्टेशन मोहनपुर देहरादून द्वारा बताया गया कि आपके पास ओ0टी0पी0 आयेगा, उसके पश्चात् ही आपका विद्युत संयोजन परिवर्तित होगा।

महोदय प्रार्थी के किरायेदार रिंकु द्वारा ऑफिस में कई बार जाने के बावजूद भी विद्युत कर्मचारी मोहनपुर सब स्टेशन द्वारा आवासीय से व्यवसायिक संयोजन परिवर्तित करने के लिए कोई पैसा आदि जमा करने से मना कर दिया और साथ में यह कहा कि जब आपके पास ओ0टी0पी0 आयेगा, उसके पश्चात् ही आपके पैसे जमा करा देगें और आपका संयोजन व्यवसायिक में परिवर्तित कर देगें। दिनांक 07.05.2024 को एस0डी0ओ0 व जेई व अन्य कर्मचारी प्रार्थी की किरायेदारी वाली दुकान पर आये उनके द्वार प्रार्थी द्वारा दुकान किरायेदार रिंकु की सारी उपरोक्त घटना से अवगत कराने तथा फोन पर प्रार्थी की बात कराने तथा प्रार्थी द्वारा एस0डी0ओ0 साहब को उपरोक्त सारी जानकारी देने के बावजूद भी विधि विरूद्ध विद्युत चालान काट दिया गया (प्रति संलग्न है।) जो गैर कानूनी है, जिसे निरस्त किया जाना न्याय हित में भी जरूरी है। अतः आपसे अनुरोध है कि एस0डी0ओ/जेई द्वारा दिनांक 07.05.2024 को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किया गया विधि विरूद्ध चालान की कार्यवाहीं व शुल्क निरस्त करते हुए प्रार्थी का आवासीय संयोजन व्यवसायिक करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2082, दिनांकित 22/05/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 18/2024 श्री संजय कुमार बंसल, निवासी–ग्राम फुलसैनी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, देहरादून, विद्युत संयोजन सं0 MP21423219463 के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. संजय कुमार बसंल विद्युत संयोजन सं0 MP21423219463 Categary change का Registration no 22812230762 दिनांक 28.12.2023 (छायाप्रति संलग्न)।
2. अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 13.02.2024 को Inspection Approval लगाई गयी है। (छायाप्रति संलग्न)
3. उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2024 को Inspection Approval कर दी गयी थी। (छायाप्रति संलग्न)।
4. दिनांक 17.02.2024 से Consumer Paymnet Due में थी। (छायाप्रति संलग्न)।
5. दिनांक 29.02.2024 को श्री गौरव शर्मा OP द्वारा Asper confirmation from consumer के आधार पर Invalid कर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)।
6. दिनांक 07.05.2024 को चैकिंग संख्या 13/38 के द्वारा Unauthorized में चैकिंग रिर्पोट भर दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया परिवादी के ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा अपनी दुकान हेतु व्यवसाय विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें आवेदन पत्र व्यवसायिक होने के बाबजूद भी तोमर जेई द्वारा आवासीय कनैक्शन दिया गया, जिसके बारे में प्रार्थी ने उसी समय मौखिक तौर पर जेई तोमर को अवगत का दिया गया था, उसके पश्चात् भी प्रार्थी ने कई बार मौखिक तौर पर अपना विद्युत संयोजन आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन हेतु जेई व अन्य कर्मचारियों को कहा, के पश्चात् प्रार्थी ने

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2023 में आवासीय विद्युत कनैक्शन व्यवसाय करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमे प्रार्थी द्वारा किरायेदारी पर रखे गये रिंकु को कई बार विद्युत विभाग के ऑफिस में कनैक्शन परिवर्तन करने व पैसे जमा करने हेतु भेजा गया तो विद्युत विभाग कर्मचार सब स्टेशन मोहनपुर देहरादून द्वारा बताया गया कि आपके पास ओ0टी0पी0 आयेगा, उसके पश्चात् ही आपका विद्युत संयोजन परिवर्तित होगा। जिसके पश्चात् दिनांक 07.05.2024 को एस0डी0ओ0 व जेई व अन्य कर्मचारी प्रार्थी की किरायेदारी वाली दुकान पर आये उनके द्वार प्रार्थी द्वारा दुकान किरायेदार रिंकु की सारी उपरोक्त घटना से अवगत कराने तथा फोन पर प्रार्थी की बात कराने तथा प्रार्थी द्वारा एस0डी0ओ0 साहब को उपरोक्त सारी जानकारी देने के बावजूद भी विधि विरूद्ध विद्युत चालान काट दिया गया (प्रति संलग्न है।) जो गैर कानूनी है, जिसे निरस्त किया जाना न्याय हित में भी जरूरी है।

विपक्षी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन सं0 MP21423219463 के Categary change का Registration no 22812230762 दिनांक 28.12.2023 को प्राप्त हुआ जिसके क्रम में अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 13.02.2024 को Inspection Approval रिर्पोट लगाई गयी इसके उपरांत उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2024 को Inspection Approval कर दी गयी थी तत्पश्चात् उक्त कंज्यूमर दिनांक 17.02.2024 से Consumer Paymnet Due होने के उपरांत दिनांक 29.02.2024 को श्री गौरव शर्मा OP द्वारा Asper confirmation from consumer के आधार पर Invalid कर दी गयी जिसके उपरांत दिनांक 07.05.2024 को चैकिंग संख्या 13/38 के द्वारा Unauthorized में चैकिंग रिर्पोट भर कर परिवादी पर निर्धारण आरोपित किया गया।

इस संबंध में मंच द्वारा मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि परिवादी द्वार विद्युत का अनाधिकृत प्रयोग किया गया धारा. 126 Electricity Act, 2003 के "Unauthorized use of electricity" means the usage of electricity-

i. by any artificial means; or
ii. by a means not authorized by the concerned person or authority or licensee; or
iii. through a tampered meter ; or
iv. for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized; or
v. for the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorized."

परिवादी द्वारा सुनवाई तिथि 27.05.2024 को मंच के संज्ञान मे लाया गया कि उनके द्वारा मूल आवेदन पत्र में अघरेलू संयोजन हेतु आवेदन किया गया था बावजूद इसके बिजली विभाग द्वारा उन्हें घरेलू संयोजन प्रदान किया गया जिसके उपरांत मंच द्वारा विपक्षी को परिवादी के आवेदन पत्र की प्रति मंच में प्रस्तुत हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुपालन में विपक्षी द्वारा दिनांक 06.06.2024 को परिवादी के विद्युत संयोजन आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसका मंच द्वारा अवलोकन किया गया एंव पाया गया कि परिवादी द्वारा अघरेलू संयोजन हेतु ही आवेदन किया गया था जिसे विपक्षी के स्तर पर अघरेलू शब्द के प्रथम शब्द को काटकर घरेलू किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी के स्तर से दस्तावेज में छेडछाड की गई है यह दस्तावेज

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum
arhwal Zone)
C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
hradun -248001
one 0135- 2769745, 2769755, 2761956
fice : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संयोजन को घेरलू से अघरेलू विधा में मानकर घरेलू एवं अघरेलू के अन्तर की धनराशि ही वसूल पाने का अधिकारी है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739!
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

स्वंय विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे अस्वीकार नहीं कर सकते तथा इस दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी को यह भलि भांति से ज्ञात था कि परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन व्यवासायिक दुकान चलाने हेतु किया जा रहा था। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त संयोजन अघेरलू (व्यवसायिक संचालन हेतु ही लिया गया था) तथा परिवादी निरंतर व्यवसायिक दुकान हेतु ही इस संयोजन का इस्तेमाल कर रहा है। एक गैर तकनीकी व्यक्ति को संयोजन के श्रेणी के संबंध में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, विपक्षी द्वारा संयोजन अवमुक्त होने की तिथि से वर्तमान तक नियमित बिल प्रेषित किये गये तथा विपक्षी के कर्मचारी द्वारा भी रिडिंग लेते समय परिसर को देखा जाना स्वभाविक है। प्रार्थी वर्ष 2016 से अपने उक्त स्थल पर व्यवसायिक दुकान (व्यवसायिक संचालन हेतु ही लिया गया था) करता चला आ रहा है और उक्त समस्त तथ्य विद्युत विभाग को ज्ञात है, ऐसी दशा मे यह नहीं माना जा सकता कि जिस उद्देश्य हेतु परिवादी ने विद्युत संयोजन स्वीकृत कराया था उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य का प्रयोग किया गया हो ऐसी दशा में प्रस्तुत मामला धारा 126 (B) (iv) के अर्न्तगत भी नही आता है तथा इन परिस्थिति में परिवादी द्वारा प्रश्नगत् विद्युत संयोजन का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाना नही माना जा सकता है ऐसी दशा में विपक्षी द्वारा 126 Electricity Act, 2003 के अन्तर्गत किया गया निर्धारण पूर्णतः अवैध एवं शून्य है तथा निर्धारण अवैध शून्य होने के कारण प्रस्तुत मंच को इस प्रकरण को सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह निर्धारण मंच के विचार में अवैध एवं शून्य है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। मंच के विचार में प्रस्तुत वाद की परिस्थितियों को देखते हुए मंच का मत है कि विपक्षी चैकिंग करने की तिथि से परिवादी के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संयोजन को घेरलू से अघरेलू विधा में मानकर घरेलू एवं अघरेलू के अन्तर की धनराशि ही वसूल पाने का अधिकारी है।

आदेश

मंच विपक्षी द्वारा परिवादी पर आरोपित निर्धारण सं0 13/38 दिनांकित 07.05.2024 को निरस्त करता है एवं विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी से चैकिंग तिथि से अघरेलू से घरेलू संयोजन की विद्युत दरों के अन्तर की धनराशि ही वसूल करें, जिस पर कोई भी पैनल्टी अथवा विलंब अधिभार देय नही होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्तर्गत परिवादी को संशोधित विद्युत बिल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/07/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19-07-2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 39/2024

Smt. Reeta Joshi V/s **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 11.07.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 11.07.2023 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई से पूर्व आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उन्हें प्रेषित गलत बिल जिसे ठीक किया गया परन्तु उस गलत बिल के कारण Additional Security Deposit में गलत बिल की रीडिंग यूनिटों के कारण मॉगी जा रही है, अतः उसे ठीक करते हुए उनके द्वारा तीन माह में भुगतान की गई ASD उनके आगामी बिलों में समायोजित करने का आग्रह किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या 508 दिनांकित 11/07/2024 के द्वारा निम्वत् अवगत कराया गया है कि:-

1.उपभोक्ता हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता का meter defective and crip होने के कारण मीटर विभाग द्वारा उपभोक्ता का मीटर दिनांक 21.02.2024 को बदल दिया गया था व बिल भी सी0सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से ठीक कर दिया गया था।

2.उपभोक्ता द्वारा तीन माह में जमा की गई ASD धनराशि उपभोक्ता सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से समायोजित कर दी गई है।

परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी की उपरोक्त आख्या पर अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त कर दी गई है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्चरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्चरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/07/24   11/07/24   11.07.24

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

ordinary
Slomk

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार उनके औसत आधार पर वास्तविक खपत के बिल आते थे परन्तु दिनांक 19.09.2023 के उपरान्त परिवादी को 4144 यूनिट जो कि 29429 घनराशि का बिल आया है, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विवादित बिल चक्र 19.096.2023 से पूर्व इतनी अधिक खपत कभी नही रही है। दिनांक 19.09.2023 से मीटर बदलने जाने के तिथि तक परिवादी के विद्युत मापक के असामान्य व्यवहार के कारण पूर्व से काफी अधिक विद्युत का उपभोग कंज्यूमर हिस्ट्री मे दर्शाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 16.07.2023 से दिनांक 24.03.2024 अर्थात् 252 दिनों में 01 कि0वा0 की स्वीकृत भार पर 5787 यूनिट की खपत दर्शायी गई है, जो कि 22.96 अर्थात् 23 यूनिट प्रतिदिन की विद्युत खपत होती है। अतः इसके अनुसार विपक्षी द्वारा 01 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 23 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गई खपत को बिना तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मंच द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपल्ब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी द्वारा प्रत्येक बिल चक्र पर मीटर के आधार पर बिल दिये जाते रहे। परिवादी को दिनांक 16.07.2023 से दिनांक 24.03.2024 के बिल चक्रों में विपक्षी द्वारा 5787 यूनिट का बिल चक्र भेजा जिस पर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उनकी इतनी अधिक विद्युत खपत न तो विवादित बिल चक्रों से पूर्व रही है न ही उक्त बिल चक्रों के बाद। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया की दिनांक 29/01/2024 को चैक मापक फाईनल करते समय चैक मापक में रीडिंग 105 के0डब्लू0एच0 तथा मुख्य मापक में नो डिस्प्ले होने के कारण चैक मापक से मुख्य मापक की तुलना नही की जा सकती है। चैक मापक उपभोक्ता के परिसर पर छोड दिया गया था। विपंक्षी के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवा
(गढ़व
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, क
देहरादून –
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–
ई–मेल cgrfgz@gmail

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है की उक्त विद्युत मापक में तकनीकी खराबी थी जिस कारण उक्त विद्युत मापक के असमान्य व्यवहार के कारण विद्युत मापक की वास्तविक खपत से अधिक की खपत दर्शा रहा था। विपक्षी परिवादी की उपरोक्त विवादित बिल चक्रों की खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 16.07.2023 से दिनांक 24.03.2024 तक पुराने विद्युत मापक के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की तीन विद्युत बिल चक्रों की औसत खपत (80+29+19 /3 = 42.66) प्रति बिल अर्थात् 43 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 16.07.2023 से दिनांक 24.03.2024 तक पुराने विद्युत मापक के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व की तीन विद्युत बिल चक्रों की औसत खपत (80+29+19 /3 = 42.66) प्रति बिल अर्थात् 43 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजकों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

30/07/2024 30.07.2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 02/2024

श्री सहीराम चौहान पुत्र स्व0 नत्थी सिंह
निवासी– ग्राम–देऊ, पो0ओ0 उभेरऊ
तहसील कालसी, देहरादून। — परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 09/07/2024
श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिल को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी का विद्युत संयोजन सं0 VN24324033809, अकांउट सं0 40102604352 , स्थान ग्राम देऊ, पो0ओ0 उभरेऊ, तहसील कालसी, देहरादून का है जिसका बिल माह नवम्बर–दिसम्बर 2023 का रू0 19291.00 प्रार्थी को प्राप्त हुआ है, जो पूर्ण रूप से गलत है। महोदय प्रार्थी गरीब श्रेणी का व्यक्ति है, व उक्त कनेक्शन का प्रयोग केवल घरेलू कार्य (टी0वी0, फ्रिज, लाईट आदि) हेतु करता है, इसके अतिरिक्त उक्त कनेक्शन का प्रयोग किसी कार्य हेतु नहीं करता है, ना ही प्रार्थी उक्त बिल

का भुगतान करने में सक्षम है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त बिल को सही किया जाये व प्रार्थी की मीटर की जॉच कराई जाये ताकि भविष्य में पुनः प्रार्थी को उपरोक्त परेशानी का सामना न करना पडे।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता(राजस्व) ने आख्या पत्रांक 1126; दिनांकित 12/04/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 02/2024 श्री सहीराम, ग्राम–देऊ पो0–उभरेऊ, विकासनगर, देहरादून के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराना है–

1. परिवादी का संयोजन सं0 VN24324033809, विद्युत मापक सं0 U481591, विद्युत भार– 1.00 कि0वा0 आर0टी0एस0–1 (STN-10 OTHERS DOMESTIC LOAD UPTO 4KW) श्रेणी में दिनांक 20.10.2004 को निर्गत किया गया था।
2. परिवादी की शिकायत बिलिंग से सम्बनधित है। जिसमें उनके द्वारा शिकायत में अवगत कराया गया है कि उन्हें माह नवम्बर – दिसम्बर 2023 का बीजक रू0 19291.00 की धनराशि का आया है, जो बहुत अधिक है।
3. संयोजन से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच की गयी। जिसमें पाया गया कि परिवादी को प्रेषित बीजक रीडिंग के आधार पर हैं।

4. परिवादी द्वारा अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की जॉच हेतु दिनांक 23.12.2023 को चैक मीटर सं0 10194660 स्थापित करवाया गया। जिसे दिनांक 01.04.2024 को फाईनल किया गया। मेन मीटर तथा चैक मीटर की खपत में कोई अन्तर नहीं आने से चैक मीटर उतार लिया गया।

5. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को उनके द्वारा उपभोग की गयी विद्युत के आधार पर ही बीजक निर्गत किये गये है एवं बीजक में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रदर्शित नहीं होती है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 27.10.2023 से 18.02.2024 अर्थात् 114 दिनों में 1 कि0वा0 स्वीकृत भार पर 6283 यूनिट की खपत दर्शायी है। विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा उक्त अवधि में प्रतिदिन 55.11 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ परिवादी के विद्युत मापक की एम0आर0आई रिर्पोट प्रस्तुत की गयी, जिसका मंच द्वारा अवलोकन किया गया है एवं कंज्यूमर हिस्ट्री से मिलान किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.213 (2)** के विनियम् का उल्घन्न किया

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

गया है, जिस कारण उक्त शिकायम उत्पन्न हुई है। कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा 1 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 114 दिनों में प्रतिदिन 55.11 यूनिट विद्युत की खपत की गई है, जो कि तकनीकि रूप से उचित नहीं है जिस कारण मंच उक्त खपत को स्वीकर नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 25/12/2023 एवं 18/02/2024 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व की तीन बिल चक्रों का औसत खपत 10/2023, 08/2023 एवं 06/2023 क्रमशः (578+447+155/3 = 393.33) यूनिट अर्थात् 394 यूनिट के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माननीय् **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.213 (2)** के विनियम् का उल्घन्न कर परिवादी को दिनांक 25/12/2023 एवं 18/02/2024 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व की तीन

बिल चक्रों का औसत खपत 10/2023, 08/2023 एवं 06/2023 क्रमशः (578+447+155/3 = 393.33) यूनिट अर्थात् 394 यूनिट के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें। **विपक्षी राजस्व हानि हेतु दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।** उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

08/07/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

08/07/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

08.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 12/2024

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री सूरज मल — परिवादी
निवासी– 704 खसरा सं0– रकबा 51वर्गमीटर
ग्राम– मौजा कैलाशपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.07.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य .
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा संयोजन निर्गत करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा प्लाट संख्या 704, खसरा संख्या– रकबा 51 वर्गमीटर ग्राम– मोजा कैलाशपुर परगना केन्द्रीय तहसील व जिला देहरदून में घर बनाने हेतु मुझे विद्युत कनेक्शन नही मिल पा रहा है। अतः मुझे विद्युत कनेक्शन दिलवाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 96, दिनांकित 04/05/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 12/2024 श्री विपिन कुमार पुत्र श्री सूरज मल, निवासी खाता सं0–704, खसरा सं0–रकबर 51 वर्गमीटर, कैलाशपुर दे0दून बनाम उपाकालि0 के समक्ष योजित है,जिसकी सुनवाई दिनांक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

06.05.2024 को नियत है। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा उक्त संयोजन शासकीय भूमि (पट्टे वाली भूमि) पर दिये जाने हेतु आग्रह किया गया था, जबकि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 109/CT/2023 दिनांक 25.02.2023 द्वारा बिना स्वामित्व की भूमि (पट्टे धारी भूमि) पर विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु प्रतिबन्ध लगाया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से सष्ट है कि परिवादी अपनी भूमि खाता 704, में विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है जबकि विपक्षी द्वारा शिकायत करने की तिथि तक संयोजन अवमुक्त नही किया गया है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त के संबंध में मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा उक्त संयोजन शासकीय भूमि (पट्टे वाली भूमि) पर दिये जाने हेतु आग्रह किया गया था, जबकि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 109/CT/2023 दिनांक 25.02.2023 द्वारा बिना स्वामित्व की भूमि (पट्टे धारी भूमि) पर विद्युत संयोजन दिये जाने हेतु प्रतिबन्ध लगाया गया है।

उपरोक्त शिकयत के क्रम में मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं पाया की परिवादी द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection 3.3.2 (4 A I) A 2E** के क्रम में दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है ऐसी दशा में परिवादी विद्युत संयोजन

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

पाने का अधिकारी नही है जिसका उल्लेख उक्त रेगुलेशन में स्पष्ट अंकित है। अतः इन परिस्थितियों में उक्त वाद बलहीन होने के कारण आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/07/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 03 / 2024

श्री अभिलाष गुप्ता — परिवादी
निवासी– 35 A सरस्वती,
सोनी मार्ग, लक्ष्मण चौक,
देहरदून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.07.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा विद्युत संयोजन संख्या SD25112014116 सन् 1976 से हमारे द्वारा उपभोग किया जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा खपत के आधार पर ही विद्युत बिल दिये जा रहे थे, जिनका हमारे द्वारा ससमय पर भुगतान भी किया जा रहा था परन्तु एकाएक बिल चक्र फरवरी 2024 में हमें अत्याधिक रीडिंग 1334 यूनिट का बिल भेजा गया है, उस पर हमे आपत्ति है, क्योंकि इनती अधिक खपत न तो हमारी पूर्व में कभी रही है न ही फरवरी 2024 के बाद। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त विवादित बिल को संशोधित कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 25, दिनांकित 10/04/2024 से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता द्वारा माह फरवरी 2024 में अधिक विद्युत बिल आने की शिकायत दर्ज की गई है, मा0 मंच द्वारा शिकायतकर्ता के संयोजन सं0 SD25112014116 से सम्बन्धित अभिलेख व बिन्दुवार आख्या हेतु निर्देशित किया गया जो कि निम्नवत् है–

1. विद्युत संयोजन संख्या SD25112014116 श्री अभिलाष गुप्ता, 35ए, सरस्वती सोनी विहार मार्ग, देहरादून के नाम पर निर्गत है।
2. उपभोक्ता के विद्युत मीटर की प्रतिमाह रीडिंग हो रही है।
3. उपभोक्ता का माह दिसम्बर 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 का विद्युत बिल 316 यूनिट, 132 यूनिट, 1334 यूनिट एवं 110 यूनिट पर निर्गत हुआ है।
4. उपभोक्ता के द्वारा माह 02/2024 के अधिक बिल हेतु चैक मीटर हेतु आवेदन किया गया था जो कि दिनांक 17.02.2024 को लगाया गया एवं 06.03.2024 को फाईनल किया गया।
5. उपभोक्ता के चैक मीटर एवं मेन मीटर में समान यूनिट 67 उपभोग हुई हैं।
6. उपभोक्ता का मेन मीटर सही पाया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार उनके औसत आधार पर वास्तविक खपत के बिल आते थे परन्तु 09.02.2024 को 1334 यूनिट जो कि 9393 धनराशि का बिल आया जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विवादित बिल चक्र 02.02.2024 से पूर्व न तो परिवादी की इतनी ज्यादा खपत रही है न ही विवादित बिल चक्र के बाद। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 09.01.2024 से दिनांक 09.02.2024 अर्थात् 31 दिनों में 4 कि0वा0 की स्वीकृत भार पर 1334 यूनिट की खपत दर्शायी गई है, जो कि 43.03 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। अतः इसके अनुसार विपक्षी द्वारा 04 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 43.03 यूनिट प्रतिदिन की दर्शायी गई खपत को बिना तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मंच द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी द्वारा प्रत्येक बिल चक्र पर मीटर यूनिट के आधार पर बिल दिये जाते रहे जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय पर भुगतान कर रहा है। परिवादी को दिनांक 02.02.2024 के बिल चक्र में विपक्षी द्वारा 1334 यूनिट का बिल भेजा जिस पर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उनकी इतनी अधिक विद्युत खपत न तो उक्त विवादित बिल से पूर्व रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

विपक्षी परिवादी की उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 09.02.2024 को प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन विद्युत बिल चक्रों की औसत खपत (132+316+157 /3 = 201.66) प्रति बिल अर्थात् 202 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 09.02.2024 का विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत (132+316+157 /3= 201.66) प्रति बिल अर्थात् 202 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है की परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में मीटर की तकनीकी खराबी होने के कारण पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/07/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabbar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480(
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,27619!
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 10/2024

श्री चरनजीत अरोडा,
नि0 ओमकारानन्द, गंगा माता ,
त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
ऋषिकेश

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक : 29.07.2024
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विपक्षी के पत्रांक संख्या 459 दिनांकित 12.02.2024 में आरोपित निरधारण को समाप्त किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विपक्षी द्वारा उन्हें अपने पत्रांक संख्या 459 दिनांकित 12.02.2024 के द्वारा रू0 14,87,080/–का निर्धारण प्रेषित किया गया है जो कि पूर्ण रूप से अवैध, मनमाना, विकृत, दुर्भावनापूर्ण और अन्यायपूर्ण है जिसे रदद् किया जाना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1046 दिनांकित 27/04/2024 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया गया है कि:–

1. उपभोक्ता श्री ओमकारानन्द, संयोजन सं०–RKOK000026695 के परिसर में दिनांक 24.01.2024 को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, हरिद्वार रोड़ द्वारा चौकिंग रिपोर्ट नं0–38/1619 की गयी जिसमें उनका संयोजन वाणिज्यिक उपयोग (होटल) में प्रयोग करते हुये पाया गया, जबकि इनका संयोजन संख्या 26695 भार

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वा
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

30 कि०वॉ० इनके आवेदन अनुसार RTS&2/ (1.1) / (111) चौरिटेबल ट्रस्ट में स्वीकृत था। अतः इनके द्वारा अनाधिकृत प्रयोग पाया गया।

2. उपखण्ड अधिकारी की चौकिंग रिपोर्ट के आधार पर इनकी lease Deal के अनुसार माह नवम्बर 2015 से माह जनवरी 2024 तक का अनाधिकृत प्रयोग हेतु धनराशि रू0 1487080 का राजस्व निर्धारण किया गया, जो कार्यालय पत्रांक 459, दिनांक 12.02.2024 द्वारा उपभोक्ता को उनके परिसर के पते पर प्रेषित कर दिया गया।
3. यह भी अवगत कराना है कि अनाधिकृत प्रयोग राजस्व निर्धारण के विरूद्ध उपभोक्ता मै० ओमकारानन्द द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उपभोक्ता द्वारा श्री चरनजीत अरोड़ा को प्रत्यावेदन हेतु अधीकृत किया गया। जिस कारण इनको उपभोक्ता के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये।

मा० मंच को अवगत कराना है कि उपरोक्त निर्धारण विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–126 के अन्तर्गत कया गया है, जो कि मा० उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में पोषणीय नहीं है। अतः मा० मंच से अनुरोध है कि उक्त शिकायत को निरस्त करने की कृपा करें।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देर्शित किया गया कि जिसके अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा अपने पत्रांक संख्या 1046 दिनांकित 27.04.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्री ओमकारानन्द, संयोजन सं०–RKOK000026695 के परिसर में दिनांक 24.01.2024 को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, हरिद्वार रोड़ द्वारा चौकिंग रिपोर्ट नं0–38/1619 की गयी जिसमें उनका संयोजन वाणिज्यक उपयोग (होटल) में प्रयोग करते हुये पाया गया, जबकि इनका संयोजन संख्या 26695 भार 30 कि०वॉ० इनके आवेदन अनुसार RTS&2/ (1.1) / (111) चौरिटेबल ट्रस्ट में स्वीकृत था, अतः

इनके द्वारा अनाधिकृत प्रयोग पाया गया। उपरोक्त निर्धारण विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–126 के अन्तर्गत कया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच इस मत का है कि कि **UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification January 22, 2019 UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be Followed by the Forum For Redressal Of Grievances of the Consumers) Regulations, 2019 CHAPTER 3: Jurisdiction and Proceedings of the Forum 3.1 (4)** के अनुसार मंच को उक्त प्रकरण सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत शिकायत विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग से संबंधित होने के कारण **UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION Notification January 22, 2019 UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be Followed by the Forum For Redressal Of Grievances of the Consumers) Regulations, 2019 CHAPTER 3: Jurisdiction and Proceedings of the Forum 3.1 (4)** के अनुसार मंच को उक्त प्रकरण सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/07/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29.07.20

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 11/2024

श्री राजेन्द्र सिंह,
पुत्र स्व0 श्री जवाहर सिंह,
ग्राम खाटवा, पो0ओ0 खारसी,
तहसील चकराता, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड ,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक : 29.07.2024

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है। परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वह ग्राम खटवा पो0 ओ0 खारसी तहसील चकराता जिला देहरादून का निवासी है। मेरा बिल नं0 VN26323084463 तथा खाता संख्या 40105145065 है। पिछले महीने से उनका बिजली का बिल आवश्यकता से अधिक आ रहा है, जबकि उनके द्वारा अधिक बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस महीने का बिल 1777 आया है, जो कि पिछली खपत से काफी अधिक है। परिवादी को यह भी शंका है कि उनका बिजली मीटर खराब हो गया है, जिस कारण बिजली का बिल आवश्यकता से अधिक आ रहा है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवा
(गढ़व
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉ
देहरादून –
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–
ई–मेल cgrfgz@gma

परिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी जो गॉव में न जाकर ऑफिस में बैठकर बिजली के अनुमानित व गलत बिल भेज देते है, जो कि नियामानुसार गलत है।

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 2011 दिनांकित 12/06/2024 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया गया है :–

1. परिवादी का संयोजन सं0 VN26323084463 दिनांक 11.10.2007 को निर्गत हुआ है जिसका अनुबन्धित भार 1.00 कि0वा0 है तथा संयोजन घरेलू श्रेणी के बी0पी0एल0 वर्ग में स्वीकृत है।
2. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में अवगत कराया गया है कि उनका माह 04/2024 का बीजक अधिक आया है।
3. परिवादी के संयोजन से संबंन्धित अभिलेखों की जॉच करने पर पाया गया कि परिवादी की दिनॉक 25.04.2024 तक की कुल रीडिंग 3017 है तथा अवर अभियन्ता चकराता के अनुसार दिनॉक 07.06.2024 को परिवादी के मीटर में कुल रीडिंग 3796 KWH है।
4. उक्त रीडिंग से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा बी0पी0एल0 श्रेणी हेतु स्वीकृत रीडिंग से अधिक खपत की जा रही है, जिस कारण उपभोक्ता को प्रेषित किये जा रहे बीजक सही है तथा बीजक में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है।
5. **मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।** मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथिया 06.05.2024, 20.05.2024, 06.06.2024 एवं 20.06.2022 नियत की गई थी, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि में मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई आचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद वादी के अदम पैरवी मैं खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी के अदम पैरवी मैं खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/07/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29.07.2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य